कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक: 7346 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–117 / 2010 दिनांक: 08/9 /2017

कार्यालय–ज्ञाप

मे0 एन0बी0के0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 3ए,87 नेहरूनगर, गाजियाबाद का लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–3987एम.टी. / सामान्य वर्ग / 54एम.–117 / 10 दिनांक–15.6.2010 द्वारा दिनांक–30.06.2012 तक के लिए किया गया था, जिसके श्री रविन्द्र नागर एवं श्री हरकेश भारद्वाज, कुल 02(दो) निदेशक हैं।

खुर्जा जेवर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु अनुबंध संख्या–81 / एस0ई0–बु0श0 / 2011–12 दि0–12.11.2011 मे0 एन0बी0के0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 3ए, 87 नेहरूनगर, गाजियाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर के मध्य वास्ते रु0 18,55,26,910.01 गठित हुआ था, जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.11.2011 एवं कार्य समाप्त की तिथि 11.11.2012 निर्धारित थी, उक्त अनुबन्ध में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित अनियमितताऐं कारित की गयी :–

1. अनुबन्धित कार्य सम्पादन के समय दिनांक–15.04.2015 को कम्पनी के निदेशकों श्री रविन्द्र नागर एवं श्री हरकेश भारद्वाज द्वारा श्री सोनू कुमार एवं श्री सतपाल सिंह, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 खुर्जा के साथ मारपीट, अभ्रदता एवं असंसदीय भाषा प्रयोग की गयी, जिस आचरण के विरुद्ध उक्त अवर अभियन्ताओं द्वारा कोतवाली खुर्जानगर में कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध एफ.आई. आर. दर्ज करायी गयी।
2. खुर्जा जेवर मार्ग(प्रा0जी0 मार्ग सं0–70 डब्लू) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य में दी गयी मदो में से अनुबन्ध के सापेक्ष लगभग रू0 1.43 करोड़ लागत से नाली का निर्माण तथा लगभग रू0 0.80 करोड़ लागत के पुल / पुलियों का चौड़ीकरण का कार्य उपरोक्त कम्पनी द्वारा सम्पादित नहीं किया गया।

अनुबन्धित कार्य पूरा कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड लो0नि0वि0 खुर्जा के पत्रांक–831 / 6ए दिनांक–23.4.2015 द्वारा कम्पनी को कार्य की धीमी प्रगति से अवगत कराते हुए उसकी प्रगति बढाने एवं अनुबन्धित कार्य पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु कम्पनी द्वारा वर्ष 2013–14 में कार्य पर उपलब्ध रू0 65.00 लाख के अनुदान का सदपयोग नहीं किया गया, जिसके लिये कम्पनी को अनुबन्ध के इंजीनियर द्वारा कई पत्र लिखे गये। वर्ष 2014–15 में आवंटन उपलब्ध होते हुए भी फर्म द्वारा कि0मी0 4,5,6(385), 7(900) व 8 में चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य एवं कि0मी0 1 व 2 में एस.डी.बी.सी. मात्र कार्य एवं लगभग 250मी0

क्रमशः पेज–2

नाली का निर्माण कार्य किया गया, जबकि वर्ष 2014–15 में उक्त शेष कार्य कराने के लिए अनुदान उपलब्ध था, फिर भी फर्म उक्त शेष कार्य कराने में असफल रही है। अनुबन्ध के सापेक्ष कार्य कराए जाने हेतु समय–समय पर 19 चालू देयकों के माध्यम से भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्य मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ के पत्र सं0–5615नि0/टी0सी0–56एम0–प0क्षे0/2015 दिनांक–12.06.2015 द्वारा इस कार्यालय के संज्ञान में लाये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक–4910एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–117/2010, दिनांक–18.06.2015 द्वारा शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु(7), दिनांक 02.12.74 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/एफ–68, दिनांक–08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत कम्पनी/निदेशक को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया, जिसका उत्तर दिनांक 26.06.2015 को कम्पनी की ओर से निदेशकों द्वारा दिया गया।

कम्पनी द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया है कि :–

1. सोनू कुमार, सतपाल, अवर अभियन्ता, लो0नि0वि0 खुर्जा तथा रविन्द्र पाल सिंह तोमर अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खुर्जा ने पैसे के लेन–देन के सम्बन्ध में हमारे साथ मारपीट की तथा धमकी दी।
2. खुर्जा मार्ग का कार्य प्रगति पर है तथा हमारे द्वारा किये गये कार्य का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

कम्पनी के निदेशकों द्वारा दिए गए उत्तर पर इस कार्यालय के पत्र सं0–6432एमटी/सामान्य वर्ग/54एमटी–117/10, दिनांक 06.07.2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ से अभिलेखीय आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी जिसके अनुपालन में मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ के पत्र सं0–957नि0/56एम0–प0क्षे0/17, दिनांक 27.02.2017 एवं पत्र सं0–1391नि0/56एम0–प0 क्षे0/17, दिनांक 17.03.2017 द्वारा घटना दिनांक 15.04.2015 की पुष्टि करते हुए यह अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खुर्जा के पत्र सं0–806/3ई0, दिनांक 16.04.2015 द्वारा अवर अभियन्ताओं के साथ घटित घटना का संज्ञान जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को कराया गया था, जिस पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा घटना की जॉच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से कराके पत्र सं0–32/आर0ए0द्वितीय–डी0एम0/2014, दिनांक 21.07.2014 एवं पत्र सं0–39/आर0ए0द्वितीय–डी0एम0/2014, दिनांक 23.07.2014 द्वारा निर्गत किये गये चरित्र प्रमाण पत्रों को जिला अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0–202/आर.ए.द्वितीय/चरित्र प्रमाण पत्र–निरस्त/2015, दिनांक 01.07.2015 द्वारा कम्पनी के निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र

क्रमशः पेज–3

निरस्त कर दिये गये थे। अनुबन्ध के सापेक्ष कार्य पूरा न किये जाने के तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ अपने पत्रांक– 6105नि0/56एम0–प0क्षे0/2015–17, दिनांक 18.08.2017 से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक–16.04.2015 को ठेकेदार के विरुद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यालय क्षेत्राधिकारी, खुर्जा(बुलन्दशहर) से दिनांक–24.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–13, बुलन्दशहर के जहां दिनांक–02.03.2016 को दाखिल किया जा चुका है तथा ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्य रु0 21,67,50,73.43 पर टी–2 के General Condition of Contract के Clause No.-53.1 के Contract data to General Conditions of Contract item no.-26 के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से रु0 43,35,014.69 का अर्थ दण्ड के रुप में शासकीय हित में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0–973/6ए, दिनांक–27.05.2017 द्वारा जब्त कर ली गयी है।

कारण बताओ नोटिस, कम्पनी निदेशकों के उत्तर, अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रचलित प्रावधानों एवं मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ से प्राप्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परिशीलन एवं समीक्षात्मक परीक्षण किया गया, जिसके आलोक में उपरोक्त दोनों बिन्दुओं की विधिक स्थिति निम्नवत् विचारणीय दृष्टिगत हुई है :–

(1) उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली 1982 के तहत पंजीकरण हेतु ठेकेदार, फार्म एवं कम्पनी के निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र अहम अभिलेख होते हैं और इनके अभाव में किसी का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से दिनांक 15.04.2015 को घटित घटना की जॉच कराकर कम्पनी के दोनों निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किये गये थे, जिससे विभागीय अवर अभियन्ताओं के साथ मारपीट करने, गाली गलौज देने तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की पुष्टि होती है। जिसके लिए ठेकेदार के विरुद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यालय क्षेत्राधिकारी, खुर्जा(बुलन्दशहर) से दिनांक–24.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–13, बुलन्दशहर के जहां दिनांक–02.03.2016 को दाखिल किया जा चुका है।

(2) प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभिलेखीय आख्या से स्पष्ट है कि पर्याप्त आवंटन होते हुए भी कम्पनी द्वारा नाली निर्माण एवं पुल पुलियों का निर्माण अनुबन्ध के सापेक्ष सम्पादित नहीं किया गया। अनुबन्ध कार्य न कराये जाने की दशा में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खुर्जा के कार्यालय ज्ञाप संख्या–973/6ए, दिनांक–

क्रमशः पेज–4

27.05.2017 द्वारा रु0 43,35,014.69 का अर्थ दण्ड के रुप में शासकीय हित जब्त कर ली गयी है, जिससे कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध संविदा उल्लंघन की भी पुष्टि होती है।

उपरोक्तानुसार कम्पनी/निदेशक के उत्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि निदेशकों द्वारा जानबूझकर अनियमित भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय अवर अभियन्ताओं से मारपीट, गाली–गलौच व असंसदीय भाषा प्रयोग किया जिसके लिए वह पूर्ण रुप से से उत्तरदायी है।

अतः शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/27–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दिनांक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/एफ–68, दिनांक–08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपर्युक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23 सा0नि0अनु(7), दिनांक–02.12.74 के अन्तर्गत मे0 एन0बी0के0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 3ए,87 नेहरूनगर, गाजियाबाद एवं उसके निदेशकों श्री रविन्द्र नागर एवं श्री हरकेश भारद्वाज को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए काली सूची (Black List) में डाले जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते हैं।

यह आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0 लखनऊ महोदय के अनुमोदन के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जाते है।

ह0/–
(अनीस अहमद खाँ)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. उप सचिव, लोक निर्माण अुनभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0 एस0 वाई0, सेतु/वाहृय सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–27.02.2017 के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

क्रमशः पेज–5

8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

9. अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0 बुलन्दशहर ।

10. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।

11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, खुर्जा को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

पंजीकृत 12. मे0 एन0वी0के0 इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0, 3ए,87 नेहरूनगर, गाजियाबाद।

(रमेश चन्द्र शुक्ला)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ